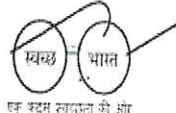


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b><br/> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)/Parliament Cell</b><br/> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b><br/> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b><br/> <b>PHONE:- 011-23544794</b><br/> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ Unst.-150/CM-09

Dated: 15.12.2023

To

Shri Neeraj Aggarwal,  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:-Vidhan Sabha Un-starred Question No. 150 raised by Hon'ble MLA Sh. Vishesh Ravi for 18.12.2023.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

*Cheshta*  
**Director (Admn.& Personnel)**

Cheshta Yadav, IAS  
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ Unst.-150/CM-09

Dated: 16.12.2023

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Member (DR.), DJB
5. DD(W).
6. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
7. Office Copy.

*Cheshta*  
**Director (Admn.& Personnel)**

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 150  
दिनांक :- 18.12.2023  
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विशेष रवि, विधायक  
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| अ.क्र. | प्रश्न                                                                                                                                                                                                          | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क)    | करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सीवर बेलदारों की कुल संख्या कितनी है;                                                                                                                                      | करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सीवर बेलदारों की कुल संख्या 31 है। परिचालन आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संख्या भिन्न हो सकती है।                                                                                                                                          |
| (ख)    | करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइनों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है;                                                                                                                                       | 185 किलोमीटर                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ग)    | दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार सीवरलाइन की प्रति किलोमीटर लंबाई के लिए कितने सीवर कर्मचारी होने चाहिए;                                                                                                     | ऐसा कोई मापदंड नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (घ)    | क्या करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के लिए नियत सीवर कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और क्या यह दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुरूप है, यदि नहीं, तो इन रिक्तियों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;         | आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा संविदा श्रमिक, किराये की मशीनें और रखरखाव अनुबंध आवश्यकतानुसार किए जाते हैं।                                                                                                                                                       |
| (ङ)    | जल रख-रखाव (वॉटर मटेनेंस) के लिए दिल्ली जल बोर्ड के नियमानुसार कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है; और                                                                                                    | दिल्ली जल बोर्ड जल रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।                                                                                                                                                                                                |
| च)     | करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए जल रख-रखाव के लिए नियत कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और क्या यह दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुरूप है, यदि नहीं तो इन रिक्तियों की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? | करोलबाग विधानसभा जल क्षेत्र में नियमित बेलदारों की संख्या 08 है। आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा संविदात्मक श्रमिकों को भी लगाया जाता है और रखरखाव अनुबंध के माध्यम से जल आपूर्ति नेटवर्क को भी दुरुस्त रखा जाता है। परिचालन आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संख्या भिन्न हो सकती है। |

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi